सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 12, सोमवार, *शाके* 1942–फरवरी 1, 2021 *Magha 12, Monday, Saka 1942- February 1, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 24, 2020

जी.एस.आर.243 :-राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम सं. 1) की धारा 57 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा नियम, 1971 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा नियम, 1971, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 में,-

(क)विद्यमान अभिव्यक्ति ''परिभाषायें'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''परिभाषाएं.-'' प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) विद्यमान खण्ड (ख), खण्ड (च) के रूप मं पुनर्संख्यांकित किया जायेगा;

(ग) खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''इन नियमों के अधीन विहित तथा'' हटायी जायेगी;

(घ) विद्यमान खण्ड (घ), खण्ड (ड.) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा;

(ड.) विद्यमान खण्ड (ड.), खण्ड (ख) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा;

(च) विद्यमान खण्ड (च), खण्ड (छ) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा;

(छ) विद्यमान खण्ड (छ), खण्ड (घ) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा; और

(ज) इस खण्ड के हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

3. नियम. 3 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 3 में,-

(क) विद्यमान उप-नियम (क), उप-नियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा;

(ख) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''विहित प्रपत्र (प्रपत्र संख्या 1)'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''प्रपत्र-1'' प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) विद्यमान उप-नियम (ख), उप-नियम (2) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा;

(घ) विद्यमान उप-नियम (ग), उप-नियम (3) के रूप मंे पुनर्संख्यांकित किया जायेगा;

(ड.) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उप-नियम (3) में,

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति ''विहित (प्रपत्र पत्र संख्या 2)'', के स्थान पर ''प्रपत्र-2'' प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति ''जो उम्मीदवार सर्वाधिकमत प्राप्त करेंगे उन्हें'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''जो उम्मीदवार सर्वाधिक मत प्राप्त करेगा उसे'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. नियम 5 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 5 में,-

(क) इस खण्ड का हिन्दी अनुवाद मूल पाठ में विद्यमान है।

(ख) इस खण्ड का हिन्दी अनुवाद मूल पाठ में विद्यमान है।

(ग) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित, उप-नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''खण्ड(i)'' के स्थान पर ''उप-नियम (1)'' प्रतिस्थापित की जायेगी;

(घ) इस खण्ड का हिन्दी अनुवाद मूल पाठ में विद्यमान है।

(ड.) इस खण्ड का हिन्दी अनुवाद मूल पाठ में विद्यमान है।

5. नियम 6 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 6 में,-

(क) इस खण्ड का हिन्दी अनुवाद मूल पाठ में विद्यमान है।

(ख) इस खण्ड का हिन्दी अनुवाद मूल पाठ में विद्यमान है।

(ग) इस खण्ड का हिन्दी अनुवाद मूल पाठ में विद्यमान है।

(घ) इस खण्ड का हिन्दी अनुवाद मूल पाठ में विद्यमान है।

(ड.) इस खण्ड का हिन्दी अनुवाद मूल पाठ में विद्यमान है।

6. नियम 7 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 7 में,-

(क) विद्यमान उप-नियम (क), उप-नियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा;

(ख) विद्यमान उप-नियम (ख), उप-नियम (2) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा; और

(ग) विद्यमान उप-नियम (ग), उप-नियम (3) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा।

7. नियम 9 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 9 में,-

(क) खण्ड (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''अविधिमान्य समझा'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''अविधिमान्य के रूपमें समझा'' प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) खण्ड (11) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''एक मत पत्र(प्रपत्र 6)'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''प्रपत्र सं. 6 में एक मत पत्र,'' प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) खण्ड (12) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति ''उसमें विहित रीति से अपना मत या अपने मत अभिलिखित करने के पश्चात् निर्वाचन ऑफिसर को व्यक्तिशः देगा अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा।'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''उसमें उपदर्शित रीति से अपना मत या अपने मत अभिलिखित करने के पश्चात् निर्वाचन ऑफिसर को व्यक्तिशः देगा अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगाः'' प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति ''परन्तु कोई भी मत पत्र, जो निर्वाचन ऑफिसर को इस प्रकार नियत की गई तारीख को 12 बजे मध्यान्ह से पूर्व प्राप्त न हो, रद्द कर दिया जायेगा।'' हटायी जायेगी; और

(iii) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्ः-

''परन्तु कोई भी मत पत्र, जो निर्वाचन ऑफिसर को इस प्रकार नियत की गई तारीख को 12 बजे मध्यान्ह से पूर्व प्राप्त न हो, रद्द कर दिया जायेगा।''

(घ) इस खण्ड के हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

8. नियम 10 का संशोधन.-इस खण्ड का हिन्दी अनुवाद मूल पाठ में विद्यमान है।

9. नियम 11 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 11 में,-

(क) इस खण्ड के हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(ख) इस खण्ड के हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(ग) उप-नियम (8) में,-

(i) इस खण्ड के हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(ii) इस खण्ड के हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(घ) उप-नियम (9) में विद्यमान अभिव्यक्ति "बैठक की कार्यवाही की कार्यवृत्त पुस्तिका तथा ऐसा समस्त अन्य अभिलेख रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।" उप-नियम (10) के रूप में संख्यांकित की जायेगी।

10. नियम 12 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 12 में,-

(क) पार्श्व शीर्षक में विद्यमान अभिव्यक्ति "इत्यादि" हटायी जायेगी।

(ख) विद्यमान उप-नियम (क) उप-नियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा।

(ग) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उप-नियम (1) में,-

(i) इस खण्ड के हिन्दी में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति"के हिसाब से" हटायी जायेगी; और

(iii) विद्यमान शब्द "मात्र" हटाया जायेगा; और

(घ) विद्यमान उप-नियम (ख), उप-नियम (2) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा।

11. नियम 16 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 16 में, विद्यमान अभिव्यक्ति " रजिस्ट्रार आहरण और संवितरण ऑफिसर" के पूर्व, पार्श्व शीर्षक "रजिस्ट्रार की शक्ति.-" अन्तःस्थापित किया जायेगा।

12. नियम 17 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 17 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "वार्षिक लेखे" के पूर्व, पार्श्व शीर्षक "वार्षिक लेखों का अंकेक्षण.-" अन्तःस्थापित किया जायेगा; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "अथवा चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा" हटायी जायेगी।

13. नियम 18 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 18 में, "प्रत्येक वर्ष सितम्बर के माह में" के पूर्व, पार्श्व शीर्षक "बजट अनुमान.-" अन्तःस्थापित किया जायेगा।

14. नियम 19 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 19 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उक्त अनुमानों में" के पूर्व, पार्श्व शीर्षक "बजट अनुमान में उपबंध.-" अन्तःस्थापित किया जायेगा।

15. नियम 20 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 20 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य सरकार, इस प्रकार प्रस्तुत", के पूर्व, पार्श्व शीर्षक "बजट अनुमान की स्वीकृति.-" अन्तःस्थापित किया जायेगा।

16. नियम 21 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 21 में विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य सरकार उस वर्ष के दौरान" के पूर्व, पार्श्व शीर्षक "अनुपूरक बजट.-" अन्तःस्थापित किया जायेगा।

17. नियम 22 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 22 में विद्यमान अभिव्यक्ति "रजिस्ट्रार बोर्ड द्वारा प्राप्त" के पूर्व पार्श्व शीर्षक "कैश बुक.-" अन्तःस्थापित किया जायेगा।

18 नियम 23 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 23 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बैंक के नाम समस्त चैक" के पूर्व पार्श्व शीर्षक "चैक पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी.-" अन्तःस्थापित किया जायेगा।

19. नियम 24 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 24 में, विद्यमान अभिव्यक्तिस "बोर्ड के लेखे" के पूर्व पार्श्व शीर्षक "लेखों का संधारण.-" अन्तःस्थापित किया जायेगा।

20. नियम 25 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 25 में,-

(क) उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "(देखिये अनुसूची 3)" हटायी जायेगी;

(ख) उप-नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''धारा 30 (अनुसूची 3)'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''धारा 30 और 62'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

21. नियम 27 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 27 में,-

(क) विद्यमान खण्ड (1), खण्ड (i) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा;

(ख) विद्यमान खण्ड (2), खण्ड (ii) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा;

(ग) विद्यमान खण्ड (3), खण्ड (iii) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा;

(घ) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खण्ड (ii) के पश्चात् विद्यमान अभिव्यक्ति ''टिप्पण'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''स्पष्टीकरण'' प्रस्थापित की जायेगी;

(ड.) विद्यमान खण्ड (4), खण्ड (iv) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा;

(च) विद्यमान खण्ड (5), खण्ड (v) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा;

(छ) विद्यमान खण्ड (6), खण्ड (vi) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा;

(ज) विद्यमान खण्ड (7), खण्ड (vii) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा;

(झ) विद्यमान खण्ड (8), खण्ड (viii) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा;

(ञ) विद्यमान खण्ड (9), खण्ड (ix) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा; और

(ट) इस खण्ड के हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

22. नियम 28 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 28 में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति ''कोई व्यक्ति लिखित में बोर्ड को इत्तिला दे सकता है'' के पूर्वपार्श्व शीर्षक **"रजिस्टर में से नामों का हटाया जाना.-"** अन्तःस्थापित की जायेगी;

(ख) खण्ड (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''विहित'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''अधिकथित'' प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ग) इस खण्ड के हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है

23. नियम 30 का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 30 के खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''ऊपर उप-नियम (ख)" के स्थान पर अभिव्यक्ति ''उप-खण्ड (ख)'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

24. नियम 31 का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 31 में,-

(क) विद्यमान उप-नियम (क), उप-नियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा;

(ख) विद्यमान उप-नियम (ख), उप-नियम (2) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा;

(ग) विद्यमान उप-नियम (ग), उप-नियम (3) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा; और

(घ) विद्यमान उप-नियम (घ), उप-नियम (4) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा।

[संख्या प.07(1)आयु./2017]
राज्यपाल के आदेश से,

आर.पी.चतुर्वेदी,
उप शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।